न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

संतोष अग्रवाल पिता स्व0 श्री फूलचन्द्र अग्रवाल, निवासी रानीगंज घोघर रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

-----आवेदक

बनाम

1–	अशोक अग्रवाल	सभी पुत्रगण स्व0 श्री फूलचन्द्र अग्रवाल, निवासी अग्रवाल हाउस यूनियन बैंक के बगल मे रानीगंज घोघर रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)
2–	अवधेश अग्रवाल	
3–	महेश अग्रवाल	
4–	राजेन्द्र अग्रवाल	

-----अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0 विरूद्ध आदेश नजूल तहसीलदार रीवा दिनांक 09/10/12 जो प्रकरण क्र0–1(अ)6/11–12 (संतोष अग्रवाल बनाम सुखदेव प्रसाद अग्रवाल (मृत) वगैरह में पारित)

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

1– अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09/10/12 जिसके द्वारा आवेदक का नामांतरण प्रकरण सुनवाई किये बिना स्थगित कर दिया गया है सर्वथा विधि विधान के प्रतिकूल है ।

2– प्लाट नं0–1420/2 रकवा 0.04 ए0 के अंश भाग 0.02 ए0 के नामांतरण का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में लंबित था, उस प्रकरण के लंबित रहते अनावेदक अशोक कुमार ने एक दीवानी दावा दायर किया जो लंबित है । यह आधार वर्णित करते हुए तहसील न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित करने का आवेदन दिया जो प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 127—दो / 13 जिला —रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुनेन्द्र प्रसाद मिश्रा द्वारा निवेदन किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं । अतः आवेदक के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	